न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 128/2015 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2015/00126**
दायर दिनांक :– 06.11.2015 **निर्णय दिनांक :– 28.10.2024**

1. बबूलाल पुत्र प्रेमराज जाति पुरोहित निवासी बाप फौत के कायम मुकाम
1/1 राजकंवर पत्नी बाबूलाल जाति पुरोहित निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
1/2 भंवरी पुत्री बाबूलाल जाति पुरोहित निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
1/3 श्यामसुन्दर पुत्र बाबूलाल जाति पुरोहित निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
1/4 कमला पुत्री बाबूलाल जाति पुरोहित निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
1/5 देवनारायण पुत्र बाबूलाल जाति पुरोहित निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
1/6 जगदीश पुत्र बाबूलाल जाति पुरोहित निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
1/7 रामकिशोर पुत्र बाबूलाल जाति पुरोहित निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
1/8 दिनेश पुत्र बाबूलाल जाति पुरोहित निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

वादीगण.......

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

प्रतिवादी........

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,92ए,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितः– 1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता वादीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,92ए,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि वादी की पीढियों से कब्जे काश्त व खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि मौजा बाप वर्तमान राजस्व ग्राम बडीढाणी तहसील बाप के खसरा नम्बर 2048 रकबा 55–06 बीघा, खसरा नम्बर 2047 रकबा 646–04 बीघा, खसरा नम्बर 2046 रकबा 0–08 बीघा इस प्रकार कुल रकबा 701–18 बीघा दर्ज की, जिसमें वादी के खेत खसरा नम्बर 2047 रकबा 646–04 बीघा में से अधिकतर भूमि वादी के खेत का आगोर के रूप में काम आ रही थी, जिस पर एकमात्र वादी के पिता ही काबिज खातेदार काश्तकार थे तथा यह खसरा एक चक के रूप में थी, जिसमें से बरसाती पानी आकर वादी के खेत के ढलान भाग पर इकट्ठा होता था, जिसका उपयोग वादी के पिता प्रेमराज करते थे। कभी ज्यादा वर्षा होने पर अपने खेत के उपरी भाग में भी काश्त करता था। वादी के पूर्वज प्रेमराज पुत्र हरजी उपरोक्त वर्णित भूमि पर ... काश्त करते आ रहे थे उनके देहान्त के बाद वादी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है ... तत्कालीन भू–प्रबन्ध कर्मचारियों ने वादी के पिता के नाम खसरा नम्बर 2047 में रकबा घटाकर ...–00 बीघा खातेदारी दर्ज कर दिया तथा शेष भूमि के मूल खसरा नम्बर 2044 कुल रकबा 335–0... बीघा दर्ज कर अलग नक्शा बना दिया तथा रकबा 212–00 बीघा भूमि खसरा नम्बर 2052/1 में गैर मुमकिन दर्ज कर राज खाते में दर्ज कर दी, जिसके वर्तमान में खसरा नम्बर 2044/1 रकबा 35–04 बीघा, खसरी नम्बर 2044/2

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:21:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

रकबा 300–00 बीघा तथा खसरा नम्बर 2052/1 में से रकबा 212–00 बीघा भूमि कुल रकबा 547–04 बीघा भूमि को वादी अपने खातेदारी खेत का आगोर भूमि दर्ज करवाये जाने का अधिकारी है।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार बाप ने जवाब में कथन किया कि सेटलमेंट सम्वत 2012 में खसरा नम्बर 2047 रकबा 646–04 बीघा है किन्तु 2025 के सेटलमेंट में खसरा नम्बर 2047 का रकबा 99–00 बीघा है जो तत्कालीन सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा किया गया है। वादी खसरा नम्बर 2047 का रकबा 99–00 बीघा के स्थान पर 646–04 बीघा चाहता है अर्थात भू प्रबन्धन सम्वत 2012 अनुसार रकबा दुरूस्त चाहता है जो गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना उचित होगा। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध होने से तनकीयात कायम की गई। वादी बाबूलाल ने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया। वादी बाबूलाल फौत के वारिसान वादी संख्या 1/6 ने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया इनके बयान पी डब्लू–1 कलमबद्व किये गये, वादी संख्या 1/3 ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया इनके बयान पी. डब्लू–2 कलमबद्व किये गये। पड़ोसी खातेदार समसुदीन ने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया व इनके बयान पी.डब्लू–3 कलमबद्व किये किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आवंटन आदेश, वर्तमान जमाबंदी, तहसीलदार बाप की रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि वादग्रस्त भूमि गाम बडीढाणी पटवार क्षेत्र घटोर के खसरा नम्बर 2044/1 रकबा 35–04 बीघा, खसरा नम्बर 2044/2 रकबा 300–00 बीघा, खसरा नम्बर 2052/1 रकबा 263–09 बीघा राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2070–2073 में राजकीय भूमि दर्ज है। वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज वाद के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया है जिससे ऐसा प्रतीत हो सके कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के पूर्वजों के नाम खातेदारी की थी। तहसीलदार बाप ने राजकीय भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के संबंध में अपने स्पष्ट कथन नहीं किये है। वादीगण वादग्रस्त भूमि पर अतिकमी की हैसियत से काबिज है अतिकमी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने उचित नहीं है। वादीगण का वाद दस्तावेजात से साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। डिकी पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:21:14 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. बबूलाल पुत्र प्रेमराज जाति पुरोहित निवासी बाप फौत के कायम मुकाम
1/1 राजकंवर पत्नी बाबूलाल जाति पुरोहित निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
1/2 भंवरी पुत्री बाबूलाल जाति पुरोहित निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
1/3 श्यामसुन्दर पुत्र बाबूलाल जाति पुरोहित निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
1/4 कमला पुत्री बाबूलाल जाति पुरोहित निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
1/5 देवनारायण पुत्र बाबूलाल जाति पुरोहित निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
1/6 जगदीश पुत्र बाबूलाल जाति पुरोहित निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
1/7 रामकिशोर पुत्र बाबूलाल जाति पुरोहित निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
1/8 दिनेश पुत्र बाबूलाल जाति पुरोहित निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

वादीगण.....

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

मुकदमा संख्या :– 128/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी एवं हाजिर राजेन्दसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि वाद वादीगण स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है नीचे

मुतालिक बाबत्

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख

वसूल याबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.10.2024 को जारी की गई।

28.10.24

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:21:14 IST
Reason: SelfAttested